FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

• गोविन्द वैष्णव पुत्र स्व. नन्दलाल उम्र 36 साल जाति वैष्णव निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अरांई अजमेर हाल निवासी अजमेर राज. व अन्य। —वादीगण।

बनाम

• नाराज पत्नी कालुराम उम्र बालिग जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य। —प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 188, राज0 का0 अधि01955, 111,128 भू.राज.अधि. 1956

नंबर 19 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / ....

वकील वादी :— अशोक शर्मा **वकील प्रतिवादीगण.................**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24/5/24	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधि. 1955 तथा धारा 111, 128 भू. राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 31/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
31/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. स्थानीय चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार............... दिनांक 19/7/2024 को पेश हो।	
19/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। एच.डी.एफ.सी. बैंक की ओर से वकील श्री हितेश सिंह उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल। वास्ते तलबी अन्य प्रतिवादीगण पत्रावली 10/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	

11/8/25

पत्रावली पेश हुयी समक्ष पक्षकारगण उप. ।
वास्ते अन्तिम आदेश हेतु
पत्रावली दिनांक 13/8/25 को पेश हो

WB
उपजिलाधिकारी
अराई

13.8.25. पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। WB

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या .19/2024 उनवान गोविन्द वैष्णव बनाम नाराज वगै0**

1. श्री गोविन्द वैष्णव पुत्र स्व.श्री नन्दलाल उम्र 36 वर्ष जाति वैष्णव / साधू निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान हाल निवासी साई ज्योति स्कुल के पास, कायड़ रोड, अजमेर जिला अजमेर राजस्थान।

2. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व.श्री नन्दलाल उम्र 70 वर्ष जाति वैष्णव / साधू निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान हाल निवासी साई ज्योति स्कुल के पास, कायड रोड, अजमेर जिला अजमेर राजस्थान।

(वादी)

बनाम

1. श्रीमती नाराज पत्नी श्री कालुराम उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

2 श्रीमती फुतर देवी पत्नी श्री कानाराम उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

3 श्री महावीर प्रसाद सैनी पुत्र श्री गणेश माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

4. कोमल पुत्री स्व.श्री गोपाल माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

5 श्री धनराज पुत्र स्व.श्री गोपाल माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

श्रीमती नन्दु पत्नी स्व.श्री गोपाल माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

7. श्री बहादुर पुत्र श्री गोपाल माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

8 रेखा पुत्री श्री गोपाल माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

9. रिंकु पुत्री श्री गोपाल माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान ।

10. पार्वती पुत्री स्व.श्री देवाराम माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

11. श्री बनवारी लाल पुत्र स्व.श्री देवाराम माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

12. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी स्व.श्री देवाराम माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

13. श्री हजारीमल पुत्र स्व.श्री देवाराम माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

14. श्री सांवर लाल पुत्र स्व.श्री देवाराम माली उम्र बालिग वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

15. श्री. सज्जन पुत्र श्री नारायण उम्र बालिग वर्ष जाति ढोली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।

16. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बोराडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान पिनकोड 305412 1

17. स्टैंट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

18.एच.डी.एफ.सी बैंक, शाखा शाहपुरा जिला भीलवाडा पिनकोड 311404 द्य

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अंराई।

(प्रतिवादीगण)

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक ....

1. प्रार्थीगण की औरं से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अमिषेकसिह राजपुरोहित व अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 25. 4.2024को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 19/2024 पर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके ग्राम गोठियाना पटवार हल्का गोठियाना भू0अ0नि0क्षेत्र आकोडिया में खसरा संख्या 1045,1636/1045,1633/1044,1634/1045 का खातेदार काबिज काश्तकार है ।
2. यह कि प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है, तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है प्रार्थी की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम ग्राम गोठियाना पटवार हल्का गोठियाना भू0अ0नि0क्षेत्र आकोडिया में खसरा संख्या 1045,1636/1045,1633/1044,1634/1045 का सहखातेदार काबिज काश्तकार है । वर्तमान में प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है।
3. प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 56 के मध्य सीमा विवाद होने के कारण आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भमि पर विवाद उत्पन्न करते है । जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण

माननीय न्यायालय के समक्ष सदमाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की वाके ग्राम गोठियाना पटवार हल्का गोठियाना भू0अ0नि0क्षेत्र आकोडिया में खसरा संख्या 1045,1636/1045,1633/1044,1634/1045 की सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

4. दिनाकं 20.6.2025 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01लगायत 15 में से कोई उपस्थित नही हुये। दिनांक 20.6.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

5. दिनांक 13.08.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम गोठियाना पटवार हल्का गोठियाना भू0अ0नि0क्षेत्र आकोडिया में खसरा संख्या 1045,1636/1045,1633/1044,1634/1045 का सहखातेदार काबिज काश्तकार है । उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 15 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदमावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीकी श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम गोठियाना पटवार हल्का गोठियाना भू0अ0नि0क्षेत्र आकोडिया में खसरा संख्या 1045,1636/1045,1633/1044,1634/1045 व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

6. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गोठियाना पटवार हल्का गोठियाना भू0अ0नि0क्षेत्र आकोडिया में खसरा संख्या 1045,1636/1045,1633/1044,1634/1045 का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13/8/25..........को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)